न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

राजस्व अपील संख्या :–10 / 2018

1. अनारी पत्नी स्व0 चरनसिंह
2. सुशील उर्फ सुनील पुत्र चरनसिंह

जाति जाट निवासी पिपरऊ तहसील नदबई जिला भरतपुर।

....अपीलान्टगण

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह
2. रमनसिंह
3. नैमसिंह
4. बच्चू

(1–4) पुत्रगण भंवरसिंह

5. उर्मिलादेवी पुत्री भंवरसिंह

(1–5) जातियान जाट निवासी भौसींगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

6. पुष्पेन्द्र पुत्र प्रभू
7. अतर
8. मेजर

(7–8) पुत्रान उम्मेदसिंह

(6–8) जाति जाट निवासी मालाहेडा तहसील वैर जिला भरतपुर।

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्ध आदेश विरूद्ध तहसीलदार नदबई दिनांक 30.06.2016 बाबत् नामान्तकरण संख्या 813 ग्राम पिपरऊ तहसील नदबई।

उपस्थित:–

1. श्री पुरूषोत्तम मुद्गल अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री शशि बंसल अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 16.11.2021**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0भू0राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 813 ग्राम पिपरऊ तहसील नदबई आदेश दिनांक 30.06.2016 द्वारा तहसीलदार नदबई प्रस्तुत किया गया है। अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2016 राजस्व मण्डल अजमेर तथा तहसीलदार के आदेश दिनांक 16.05.2016 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 813 ग्राम पिपरऊ भरकर

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

राजस्व लोक अदालत(न्याय आपके द्वार वर्ष 2016) कैम्प पिपरऊ में तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जो कि उसी दिन तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किये जाने का आदेश दिया है जो कि विधि एवं तथ्य विरूद्ध है व निरस्त किये जाने योग्य है। वर्तमान आराजी खसरा नम्बरान 992 / 0.29,993 / 0.05, 1099 / 1.63, 1673 / 1.37, 2149 / 1.17, 2157 / 1.31 वाके ग्राम पिपरऊ तहसील नदबई के सबंध में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की मां का दावा सहायक कलक्टर नदबई से लेकर मान0 राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 16.03.2016 तक खारिज रहा है और उक्त आराजी पर स्व0 रम्भूली व स्व0 रूमा के कोई अधिकार खातेदारी होना नही माना गया है इसलिए निर्णय व डिक्री के विपरीत उक्त आराजी के सबंध में अपीलाधीन आदेश पारित कर भारी त्रुटि की है। शेष आराजी गत खसरा नम्बरान 318,327,338,349, 582,616,655,747,824,869,875,883,884,901व 1177 सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 1116,1117,1166 व 1167 के 1 / 2 भाग पर जो निर्णय व डिक्री स्व0 रम्भूली के हक में की है वह भी मान0 उच्च न्यायालय में सबज्यूडिस रही है। इस प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री हुऐ बिना उसके आधार पर दिया गया आदेश है जो कि निरस्तनीय है। विवादित आराजी पर समस्त अपीलार्थी का कब्जा काश्त रहा है और मौके पर कोई जांच अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं की है तथा अप्रार्थी रम्मूली व रूमा का कभी भी किसी भाग आराजी का कब्जा नही रहा है। बिना कब्जे के ही उनको खण्डनाधीन आदेश में हक देना भारी भूल की है। स्व0 रम्मूली ने विवादित आराजी में 1 / 3 हिस्सा बताते हुए सहायक कलक्टर नदबई मे दावा पेश किया और अपने हक में 1 / 3 हिस्से की खातेदारी चाही गई है जो कि न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई ने दावा अंशिक डिक्री किया गया था जो कि राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर से निरस्त व मान0 राजस्व मण्डल अजमेर से बहाल रखा गया है। इस प्रकार मृतका रूमा के हक में कोई घोषणा की डिक्री नही दी गई है। मृतक रूमा को 1 / 3 हिस्सा आराजी पर दाखिला खारिज करने का आदेश देकर भारी भूल की है। दाखिला खारिज के समय विवादित आराजी पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई ने जारी किया हुआ है। स्व0 रम्मूली व रूमा के वारिसान ने राजस्व कर्मचारियों से साज करके धोखाधडी से अपने हक में स्वीकृत कराया है। जबकि मृतका रूमा आरम्भ से शून्य थी फिर भी नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। उक्त आदेश अपीलार्थी की अनुपस्थिति में पारित किया गया है जबकि उक्त आराजी पर दिनांक 20.4.2016 से नामा0 स0771 से अपीलार्थी बैंक मे रहन रखी गयी है। विवादित आराजी इन्तकाल न0 115 से स्व0 चरनसिंह व इ0न0 1053 दिनांक 23.3.2001 से कलावती व इ0न0 768 दिनांक 05.4.2016 से अपीलार्थी के नाम इन्तकाल हुआ है। इन्तकाल न0 770 दिनांक 20.04.2016 से प्रार्थी को नाबालिग से बालिग दर्ज किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी खातेदारों के नाम नाजायज रूप से कमलजन कर आदेश पारित किया गया है। उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही रही है क्योकि उक्त आदेश अनुपस्थिति में पारित किया गया है। प्रार्थी जब क्रेडिट कार्ड की नकल प्राप्त करने हेतु

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

पटवारी हल्का से पहुचा तो पटवारी ने बताया कि इन्त0 न0 813 दिनांक 30.06.2016 स्वीकृत हो चुका है जिसमें आपकी अधिकांश रकबा रम्भूली व मृतका रूमा के नाम कर दिया है । इसकी जानकारी प्राप्त होने पर नकल लेने की कार्यवाही की गई जिस पर दिनांक 26.03. 2011 को नकल मिली है। यह अपील अन्दर अवधि पेश की जा रही है। अन्त में प्रार्थी अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 30.06.2016 का राजस्व लोक अदालत कैम्प पिपरऊ में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 813 को निरस्त किये जाने व सम्पूर्ण आराजी पर प्रार्थी के नाम पूर्ववत् खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये तहत आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न पत्रावली है। पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने तर्को में अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया है कि राजस्व न्याय आपके द्वारा वर्ष 2016 कैम्प पिपरऊ तहसील नदबई में दिनांक 30.06.2016 को नामान्तकरण संख्या 813 वाके ग्राम पिपरऊ तहसील नदबई के विरूद्व पेश किया गया है। आराजी गत खसरा नम्बरान 318,327,338,349,582,616, 655, 747,824, 869,875,883,884,901 व 1177 सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 1116,1117, 1166 व 1167 वाके ग्राम पिपरऊ तहसील नदबई स्थित है जिसमें आ0ख0न0 511, 702,1030,1031, 1040 किता 5 रकबा 20.12 बीघा पर चरनसिंह पुत्र अमरसिंह गैर मौरोसी के दर्ज है जो कि संवत् 2012 में खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया तथा दिनांक 21.7.1961 को आयुक्त के आदेश से खातेदार घोषित हो गये । उक्त 5 खसरा नम्बरों पर चरनसिंह स्वतंत्र रूप से खातेदार हुअर और उक्त अमरसिंह जो चरनसिंह का पिता है उसका कोई सबंध नही रहा तथा चरनसिंह की स्वंय पैदाकर्त्ता जायदाद हो गई लेकिन आर आर डी 1987 पेज 202 तहसीलदार नदबई ने कैम्प पिपरऊ में सभी खसरा नम्बरान पर नामा0स0 813 रम्भूली व सभी को खातेदार कर दिया जबकि रम्भूली द्वारार न्यायालय एसीएम नदबई के यहां अपने 1/3 हिस्से का हक मांगा था सभी ने कोई क्लेम आज तक नही किया है। इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 813 काबिल मन्सूखी है। नामा0स0 813 तस्दीक करते वक्त सभी रम्भूली व रूमा का देहान्त हो गया था तथा मरे हुए व्यक्तियों के नाम नामान्तकरण खोला जाना न्याय संगत नही होने से अवैध है। इस प्रकार अन्य खसरा नम्बरान के साथ खसरा नम्बरान 5 रकबा 20.12 बीघा का गलत रूप से नामान्तकरण खोला गया है। नामान्तकरण में रेस्पो0 रम्भूली व रूमा व उसके वारिसान का कोई सबंध नही है। अन्त में अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कथन किया है कि नामा0स0 813 खसरा नम्बरान 5 रकबा 20.12 बीघा को छोडकर शेष पर किया गया जाना था लेकिन सम्पूर्ण पर नामा0 किया गया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है व अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

रेस्पो0 के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि नामान्तकरण संख्या 813 वाके ग्राम पिपरऊ तहसील नदबई मान0 राजस्व मण्डल की डिक्री व निर्णय के आधार पर स्वीकृत किया गया है। रेस्पो0 संख्या 1 लगा0 5 की मां रम्भूली ने उक्त विवादित आराजी की बाबत दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 का न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के पेश किया हुआ था जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2001 को दावा डिक्री किया गया। जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के निर्णय डिक्री के विरूद्व मान0 राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की है। मान0 राजस्व मण्डल राज0 के द्वारा रेस्पो0 के पक्ष में दिनांक 16.03.2016 को निर्णय डिक्री का आदेश दिया जो कि रेस्पो0 के पक्ष में अंतिम निर्णय डिक्री माना जावेगा। अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व एक रिट मान0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो कि दिनांक 04.12.2017 को खारिज की जा चुकी है जिसकी अपील भी मा0 उच्च न्यायालय की डीबी मे भी दिनांक 20.02.2018 को खारिज हो चुकी है। इससे यह तथ्य सिद्व होता है कि रेस्पो0 1 लगायत 4 की माता न्यायालय सहायक कलक्टर से मान0 उच्च न्यायालय तक जीती है। उक्त नामान्तकरण मान0 राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.3.2016 के आधार पर खोला गया है जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा "न्याय आपके द्वार" कैम्प मे हुआ है जिसका प्रचार प्रसार अखबारों आदि में किया गया था। जब मान0 राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय व डिक्री के आधार पर नामान्तकरण खोला गया है तो उसकी जांच करने का प्रश्न ही नही उठता है। उक्त नामान्तकरण राजस्व लोक अदालत ग्रम पिपरऊ में स्वीकार किया गया है उसी दिन से अप्रार्थीगण को इसकी जानकारी थी जो कि अपील करीब दो वर्ष बाद प्रस्तुत की है। इस देरी को क्षमा करने का कोई औचित्य नही है। इसी प्रकार मान0 राजस्व मण्डल व उच्च न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक दिन की देरीना का स्पष्ट विवरण देना होगा अन्यथा मियाद बिन्दु को क्षमा नही किया जावेगा। अन्त में अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा अपील को खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

हमने उभय पक्षकारान अभिभाषक की गई बहस मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रथमतः अपील के मियाद बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील काफी विलम्ब से पेश की गई है। हालांकि अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया है किन्तु अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई सन्तोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया है। तत्पश्चात् अपील का मैरिट पर निरस्तारण हेतु पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपील के साथ नामान्तकरण संख्या 813, नामा0स0 1053, जमाबंदी सम्बत् 2013, नामा0स0 771, मान0राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 16.3.2016 व निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर नदबई दिनांक 22.05.2001व वसीयतनामा तथा नकल बंदोवस्त एवम् जमाबंदी सम्वत् 2037–40 व जमाबंदी सम्वत् 2039–42 तथा जमाबंदी सम्वत् 2033–2037

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

सत्यप्रतिलिपि पेश की है। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार नदबई के नामान्तकरण संख्या 813 के अवलोकन से यह सिद्ध है कि उक्त नामान्तकरण तहसीलदार नदबई द्वारा विवादित आराजी की बावत् नामान्तकरण संख्या 813 दिनांक 30.06.2016 सक्षम न्यायालय के आदेश की पालना में हीं स्वीकार किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नही पाया जाता है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पाते है ।।

अतः आदेश है कि :–

अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर